संख्या:9/2020/154/35-4-2020

प्रेषक,

सुहास एल0वाई,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 30 जनवरी,2020

विषय : वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई घोषणा के क्रम में जनपद मऊ की विधान सभा क्षेत्र **घोसी एवं मोहम्दाबाद गोहना** में शासनादेश सं0-51/2019/1515/35-4-2018 दिनांक 21 दिसम्बर,2018 द्वारा एवं विधान सभा क्षेत्र **मधुबन** में शासनादेश सं0 117/2019/329/35-4-2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 द्वारा कार्यों की स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, मऊ के पत्र संख्या-24/मा0मु0मंत्री जी घोषणा/त्व0आ0वि0यो0/ 2019-20 दिनांक 13 जनवरी,2020 द्वारा उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कार्यों में से वि0स0 क्षे0 घोसी का कार्य यथा: **भरथिया कादीपुर मेन माइनर से रईसा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण**, वि0स0 मुहम्मदाबाद गोहना का कार्य यथा: **बड़हलगंज पुलिया से सरसेना नहर तक का चौड़ीकरण कार्य** एवं वि0स0 मधुबन के कार्य यथा- **ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत ग्राम कोरौली से ग्राम अहिरानी तक सम्पर्क मार्ग (लेपन) का कार्य** एवं **ब्लाक फतेहपुर मण□ाव के अन्तर्गत मधुबन बाजार से सुग्गीचौरी तक लेपन एवं सी0सी0 कार्य** की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत उक्त 04 कार्य की कुल अनुमोदित लागत रू. 1132.12 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त रू. 566.05 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए निम्नांकित विवरण के अनुसार कुल अवशेष देय धनराशि रू. 566.07 लाख (रूपये पॉच करोड़ छियासठ लाख सात हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू.में)

	वि0 स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	घोसी	भरथिया कादीपुर मेन माइनर से रईसा तक सम्पके मार्ग का निर्माण	340.46	170.23	170.23
2	मोहम्दाबाद गोहना	बड़हलगंज पुलिया से सरसेना नहर तक का चौड़ीकरण कार्य	295.95	147.97	147.98
3	मधुबन	ब्लाक दोहरी घाट के अन्तगेत ग्राम कोरौली से ग्राम अहिरानी तक सम्पर्क मार्ग (लेपन) का कार्य	246.87	123.43	123.44
4		ब्लाक फतेहपुर मण□ाव के अन्तगेत मधुबन बाजार से सुग्गीचौरी तक लेपन एवं सी0सी0 कार्य	248.84	124.42	124.42
		योग	**1132.12**	**566.05**	**566.07**

1- सन्दर्भित शासनादेशों क्रमश: दिनांक 21 दिसम्बर,2018 एवं 08 जनवरी, 2019 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/□ाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- इस शासनादेश से उपरोक्त दोनों कार्यो के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2020 तक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे □ाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुहास एल0वाई)
विशेष सचिव।

संख्या:9/2020/154(1)/35-4-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण□लायुक्त, आजमगढ़।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/निदेशक एवं मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मऊ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मऊ।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मऊ।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गा□ फाईल।,

आज्ञा से,

(सुहास एल0वाई)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in